भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2398
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2026
21 फाल्गुन, 1947 (शक)
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम

2398 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बड़े आवासीय विद्यालय परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाओं, जिसमें तेलंगाना की सुविधाएँ भी शामिल हैं, को राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) के साथ समन्वित किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आरवाईएसके के अंतर्गत ऐसे घटकों का ब्यौरा क्या है जो युवा नेतृत्व, खेलकूद, स्वयंसेवी गतिविधियाँ और जीवन कौशल विकास को समर्थन प्रदान करते हैं;

(ग) क्या दिशा-निर्देश ऐसे संस्थागत अवसंरचनाओं का उपयोग युवाओं के कार्यक्रमों के लिए करने की अनुमति देते हैं, और यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों को आयोजित करने के लिए राज्यों और संस्थाओं को उपलब्ध सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी ,नहीं।

(ख) माय भारत (पूर्ववर्ती एनवाईकेएस) विभिन्न कार्यक्रम (कोर कार्यक्रम) आयोजित करता है जो नेतृत्व, खेल और स्वयंसेवा को बढ़ावा देते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

- युवा क्लब विकास कार्यक्रम
- युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण
- ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता / ग्राम क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता
- जिला स्तरीय खेल मीट
- खेलों का संवर्धन (युवा क्लबों के लिए खेल सामग्री)
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन
- मिशन लाइफ
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह
- एक पेड़ माँ के नाम अभियान
- स्वेच्छा से सेवा और सशक्तिकरण
- तटीय स्वच्छता
- विकसित भारत एम्बेसडर - युवा कनेक्ट
- माय भारत के साथ दिवाली
- स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान / स्वच्छता ही सेवा अभियान
- स्वच्छता पखवाड़ा
- श्रमदान शिविर
- स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से सेवा और सशक्तिकरण
- माय भारत - विकसित भारत @ 2047 भाषण प्रतियोगिताएं
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मुस्तैद टीमों का गठन

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के तहत माय भारत ने पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा क्लब के सदस्यों सामान्यतः ग्रामीण समुदायों और विशेष रूप से युवाओं को समकालीन सामाजिक-आर्थिक विकास समस्याओं के बारे में शिक्षित करना है और उन्हें ऐसी समस्याओं पर वाद-विवाद / चर्चा में शामिल करना है। इस कार्यक्रम के लाभार्थी 'राष्ट्रीय युवा नीति, 2014' में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा हैं।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) के तहत, राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी), उप-स्कीम निम्नलिखित घटकों के माध्यम से युवा नेतृत्व, स्वयंसेवा और जीवन कौशल विकास में सहायता करता है:

(i) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास: माय भारत के माध्यम से नेतृत्व कार्यक्रमों / पहलों हेतु
(ii) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना: इन गतिविधियों में विकसित भारत युवा नेता संवाद (वीबीवाईएलडी), राष्ट्रीय एकता शिविर, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आदि शामिल हैं।
(iii) साहस गतिविधियों को प्रोत्साहन: बुनियादी / मध्यवर्ती और उन्नत साहस गतिविधियों के संचालन के लिए साहस संगठनों को अनुदान, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान करना।
(iv) किशोरों का विकास और सशक्तिकरण: जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श, करियर मार्गदर्शन केंद्र आदि को कवर करता है

(ग) आरवाईएसके स्कीम के विभिन्न घटकों के दिशानिर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

(घ) एनपीवाईएडी स्कीम के तहत गतिविधियों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, स्वायत्त संगठनों, पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों / न्यासों / सोसाइटियों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की मात्रा गतिविधि की प्रकृति और पैमाने से जुड़ी होती है। वीबीवाईएलडी के तहत, विकसित भारत चैलेंज ट्रैक आयोजित करने के लिए राज्यों को 15.00 लाख रुपये तक और केंद्र शासित प्रदेशों को 10.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक और नवाचार ट्रैक के लिए, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को 10.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
